भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 995
08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रासायनिक अपमिश्रण

995. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अज्ञात विदेशी ब्रांडों के नाम पर खतरनाक रासायनिक अपमिश्रण और कृषि तथा खाद्य उत्पादों, खाद्य और प्रोटीन संपूरकों में खतरनाक रसायनों के उपयोग का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कृषि और खाद्य उत्पादों में रासायनिक अपमिश्रण और खतरनाक रसायनों के उपयोग को रोकने और नियंत्रित करने तथा अपराधी को दंडित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों में रासायनिक अपमिश्रण की पहचान करने और उसे रोकने के लिए विभिन्न दोषमुक्त प्रणाली अपनाई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें विस्तृत जोखिम (सुरक्षा) आकलन के आधार पर विभिन्न खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों और संदूषकों के अधिकतम अवशेष की सीमा/अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इन विनियमों के अनुसार, खाद्य उत्पाद में ये निर्धारित अधिकतम अवशेष की सीमा/अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगे।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 उन खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए दंड के प्रावधानों (कारावास सहित) को निर्दिष्ट करता है, जिनके खाद्य पदार्थों को एफएसएस (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के उल्लंघन के कारण असुरक्षित घोषित किया गया है।

(घ): मिलावट के कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए, एफएसएस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 और एफएसएस (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 खाद्य उत्पादों के लिए संरचनागत/गुणवत्ता के मानकों और विभिन्न खाद्य उत्पादों में मिलावट के उपयोग पर रोक लगाने वाले प्रावधानों को निर्धारित करते हैं।

(ङ): एफएसएसएआई ने आम जनता की जागरूकता के लिए एफएसएसएआई की वेबसाइट पर विभिन्न मार्गदर्शन नोट अपलोड किए हैं, उदाहरण के लिए:

i. खाद्य पदार्थों में धातुयुक्त संदूषण - सामान्य जागरूकता के लिए 2020 में संभावित जोखिम और रोकथाम संबंधी उपाय
ii. एफ्लाटॉक्सिन - खाद्य सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय
iii. मछली में फॉर्मेलिन का मुद्दा
iv. कीटनाशक: खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, सावधानियाँ और सुरक्षा के उपाय

*****